भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2222

(09 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएसएपी के लिए कवरेज की अधिकतम सीमा में संशोधन

2222. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

श्री संजीव अरोड़ाः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत पेंशनभोगियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) एनएसएपी के लिए कवरेज की अधिकतम सीमा को अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया था;

(ग) क्या सरकार कवरेज की अधिकतम सीमा में संशोधन करने का विचार रखती है और यदि हां, तो धनराशि में कितनी वृद्धि की जाएगी;

(घ) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का राज्य पेंशन पोर्टलों को एनएसएपी के साथ एकीकृत करने का विचार है ?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम -एनएसएपी के अंतर्गत पेंशनभोगियों की संख्या (डिजिटलीकृत लाभार्थियों की संख्या या राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सीमा, जो भी कम हो) **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) एनएसएपी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या की अधिकतम सीमा को अंतिम बार 21.09.2022 को संशोधित किया गया था।

(ग) 15वें वित्त आयोग अवधि (2021-26) के लिए एनएसएपी योजनाओं को जारी रखने पर विचार करते समय , सरकार द्वारा योजनाओं के तहत लाभार्थी कवरेज और सहायता दर में संशोधन पर विचार किया गया। तथापि, उपलब्ध वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए सरकार ने एनएसएपी योजनाओं को वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में , एनएसएपी के अंतर्गत सहायता की दर/कवरेज को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित जानकारी के अनुसार , अपने स्वयं के संसाधनों से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों का विवरण **अनुबंध-।।** में दिया गया है।

(ड़) कुल 18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी के तहत पेंशन वितरण के लिए एनएसएपी - पेंशन भुगतान प्रणाली (एनएसएपी-पीपीएस) का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, 14 राज्य अपने स्वयं के पोर्टल का उपयोग करते हुए वेब एकीकरण के माध्यम से एनएसएपी -पीपीएस में लेनदेन का विवरण प्रदान कर रहे हैं। तथापि, ऐसे सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों और जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान में कोई एमआईएस प्रणाली नहीं है , उन्हें पेंशन वितरण के लिए केवल एनएसएपी-पीपीएस का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

राज्य सभा में दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत कवरेज सीमा में संशोधन के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 2222 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशनभोगियों की संख्या

वृद्धावस्था पेंशन योजना	विधवा पेंशन योजना	दिव्यांगता पेंशन योजना	कुल
21656162	6574306	811687	29042155

राज्य सभा में दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत कवरेज सीमा में संशोधन के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 2222 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-II

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों का विवरण

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृद्धावस्था	विधवाओं	दिव्यांगजन	कुल
1	आंध्र प्रदेश	678736	253832	28412	960980
2	बिहार	3915991	679059	820410	5415460
3	छत्तीसगढ़	653006	401406	132056	1186468
4	गोवा	78112	32598	15092	125802
5	गुजरात	148817	893605	71893	1114315
6	हरियाणा	1527417	693851	166463	2387731
7	हिमाचल प्रदेश	430085	109959	70061	610105
8	झारखंड	1435922	401631	245394	2082947
9	कर्नाटक	3982109	1473556	911679	6367344
10	केरल	2750224	1226519	375526	4352269
11	मध्य प्रदेश	841470	410099	15361	1266930

12	महाराष्ट्र	2680443	828516	358688	3867647
13	ओडिशा	1591369	63143	0	1654512
14	पंजाब	2126951	584756	248061	2959768
15	राजस्थान	4821144	1777062	597194	7195400
16	तमिलनाडु	263975	612175	399547	1275697
17	तेलंगाना	1170705	1585088	499442	3255235
18	उत्तर प्रदेश	1078133	2521668	833603	4433404
19	उत्तराखंड	288982	173205	83207	545394
20	पश्चिम बंगाल	1689657	1500564	654804	3845025
	पूर्वोतर राज्य				
21	अरुणाचल प्रदेश	48722	7168	3435	59325
22	असम	1271315	199756	129812	1600883
23	मणिपुर	83945	10346	8111	102402
24	मेघालय	65771	36222	14237	116230
25	मिजोरम	0	0	200	200
26	नागालैंड	1890	2460	3550	7900
27	सिक्किम	5674	1311	521	7506
28	त्रिपुरा	37377	66921	13075	117373
	संघ राज्य क्षेत्र				
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14696	6438	3718	24852
30	चंडीगढ़	8889	8358	4496	21743
31	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	13753	3751	573	18077
32	दिल्ली	296697	263639	108469	668805
33	जम्मू और कश्मीर	546140	170903	187456	904499
34	लद्दाख	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	931	415	549	1895
36	पुदुचेरी	116082	14267	0	130349
	कुल	**34665130**	**17014247**	**7005095**	**58684472**